चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में चोकी प्रभारी कौहारी उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह व उनकी टीम द्वारा 06 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।
थाना पहाड़ी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 01.दिनेश मिश्रा पुत्र देवराज 02.बच्चा कुमार रैकवार पुत्र रामखेलावन 03. शिवशरण निषाद पुत्र कमलेश 04.बबलू उर्फ देवकुमार यादव पुत्र छेदीलाल 05. अवधेश गर पुत्र रामेश्वर 06. बाबू यादव पुत्र छेदीलाल निवासीगण ग्राम मकरी पहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से 620/- रूपए व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 310/- रुपए बरामद किए गए।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह
2. हे0का0 सौरभ कुमार
3. का० बहोरन सिंह
4. का० कमलेश कुमार
5. का0 दीपक राजपूत

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शम्भू शरण सिंह मय हमराह का0 अजीजउद्दीन के द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार सोनकर पुत्र स्व0 सुरेश सोनकर निवासी इन्द्रानगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 पाउच देशी शराब मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री शम्भू शरण सिंह
2.आरक्षी अजीजउद्दीन

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान एक्शन प्लान,ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज दिनांक 25.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में सर्वप्रथम अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में चलाये जा रहे अभियान एक्शन प्लान के तहत हाईकोर्ट से सम्बन्धित मुकदमों में जल्द से जल्द निस्तारण कराने जाने,ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों को जल्द से जल्द निस्तारण कराने,सम्मन वारण्टी आदि से सम्बन्धित कार्य देख रहे पैरोकार,कोर्ट मोहर्रिरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा इस वर्ष में हुई पैरवी के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी एजेन्डा बिन्दु थाना काजलिस्ट रजिस्टर, दिनांकवार काजलिस्ट रजिस्टर, साक्षी उपस्थित रजिस्टर, पर्चा फैसला रजिस्टर,

रजिस्टर आरोप तय 313 सीआरपीसी, निर्गत सम्मन दर्ज करने हेतु रजिस्टर, रिमाण्ड रजिस्टर एवं सम्मन/वारण्टी रजिस्टर तैयाकर करने व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा शाखा सम्मन सेल द्वारा कार्यालय के अन्दर जनपद रजिस्टर/बाहर रजिस्टर में अंकित करके सम्बन्धित थानों की डाकबहियों में अंकित करके डाक पैरोकार के माध्यम से थानों में तामिल करने हेतु भेजे एवं सजा दिलाने हेतु पैरोकारों द्वारा बुलाए गये साक्षियों की शत् प्रतिशत साक्ष्य सुनिश्चित कराने हेतु,माननीय न्यायालय में साक्षियों के हस्ताक्षर कराने हेतु रजिस्टर रखने एवं उसमें हस्ताक्षर कराने हेतु कोर्ट मुहर्रिर को निर्देशित किया गया।
इस दौरान प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव, सम्मन सेल प्रभारी उ0नि0 श्री ननकऊ गौतम उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 अंशुल कुमार एवं उनकी टीम द्वारा 07 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।
थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.गोलू उर्फ आसिफ अख्तर पुत्र जावेद 2. मो0 आतिफ पुत्र समीउल्ला निवासीगण ईदगाह मार्ग मस्जिद के सामने पुरानी बाजार कर्वी 3. प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 श्यामनारायण मिश्रा निवासी भरतपुरी पुरानी बाजार कर्वी 4.चन्दा पुत्र लल्लू 5. दीपक उर्फ आकाश यादव पुत्र गिल्ला यादव निवासीगण अहिरन मोहल्ला पुरानी बाजार कर्वी 6.रवि उर्फ अंकित कुमार पुत्र हरिविलास 7.श्रवण उर्फ शुभम कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासीगण पुरानी बाजार द्वारिकापुरी कर्वी चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से 9210/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 810/- रुपये बरामद किए गए।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री अंशुल कुमार
2.उ0नि0 अमरेन्द्र सिंह
3.आरक्षी राहुल पुरी
4.आरक्षी अनिकेत

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 08 अभियुक्तों को 165 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी रंजीत यादव थाना बरगढ़ द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा निवासी मोड कालोनी कलचिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 34 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री अनन्त कुमार तिवारी व उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना सरधुवा द्वारा अभियुक्त प्रकाश उर्फ नंगा पुत्र पहलवान निवासी धौरहरा का पुरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री रामकरन मय हमराह आरक्षी कामता व प्रशिक्षु आरक्षी आशीष कुमार पटेल थाना भरतकूप द्वारा अभियुक्त रामरतन पुत्र बुद्धविलाश निवासी सुदिनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 19 क्वार्टर अवैध देशी शराब

नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह,उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह आरक्षी अखिलेश थाना भरतकूप द्वारा अभियुक्त ललित कुमार पटेल पुत्र शिवकुमार पटेल निवासी फाटापुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री रविन्द्र कटियार मय हमराह आरक्षी शुभम मिश्रा थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त अनिल रैदास पुत्र उदल रैदास निवासी पराको कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी शिवम मिश्रा थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त मनीष सिंह चौहान पुत्र स्व0 जगदीश सिंह चौहान निवासी महुवागांव थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह आरक्षी नागेश कुमार व आरक्षी रविशंकर थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त लल्लू सेन पुत्र चुनकावन निवासी बानतालाब सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(viii). उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त चुनकावन पुत्र रामगोपाल निवासी गिरधारा पुरवा मजरा अंगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।